मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 1721 / 1963 / 2019 / 26–2 भोपाल दिनांक 13 / 12 / 2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश
2. संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं
   निःशक्तजन कल्याण संचालनालय
   मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषयः– समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50% की छूट देने के नियम का बस ऑपरेटर्स द्वारा पालन नहीं करने के संबंध में ।

––0––

उपर्युक्त विषयांतर्गत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50% की छूट देने के नियम का बस ऑपरेटर्स द्वारा पालन के संबंध में परिवहन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27 अक्टूबर 2016 की छायाप्रति संलग्न है ।

2/ परिवहन विभाग द्वारा जारी राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान अनुसार समस्त दिव्यांगजनों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(बूटा सिंह इवने)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

1563/19

पंजी. 11 26-ह
दिनांक 22/10/19
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण विभाग

कार्यालय आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश

कम्युनिटी हॉल, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर भोपाल
दूरभाष एवं टेलीफैक्स क्रमांक 0755-2773008
ई-मेलcomdismp@rediffmail.com

क्रमांक/टी-2/एफ-385/2019-20/ 1119 भोपाल दिनांक 17 अक्टूबर 2019

प्रति,

प्रमुख सचिव,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग,
मंत्रालय, बल्लभ भवन,
भोपाल मध्यप्रदेश।

विषय:- समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50% की छूट देने के नियम का बस ऑपरेटर्स द्वारा पालन नही करने के संबंध में।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का राजपत्र क्रमांक /एफ-22-142-2004-आठ दिनांक 27/10/2016,

2019

--00--

कृपया संदर्भित राजपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश के कार्यालय में आये दिन दिव्यांगजनों द्वारा शिकायत की जाती है कि बस ऑपरेटर्स दिव्यांगजनों को समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत छूट नही दे रहे है। बस ऑपरेटर्स द्वारा दिव्यांगजनों से सामान्य किराया लिया जाता है। जबकि मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा जारी संदर्भित राजपत्र में दिव्यांगजनों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है।

कृपया समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में दिव्यांगजनों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत छूट का लाभ दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

बस ऑपरेटर्स द्वारा संदर्भित राजपत्र का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे बस ऑपरेटर्स के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(संदीप रजक)

आयुक्त

निःशक्तजन मध्यप्रदेश

क्रमांक/टी-2/एफ-385/2019-20/1120 भोपाल दिनांक 17 अक्टूबर 2019

प्रतिलिपि,

1- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- आयुक्त, परिवहन, ग्वालियर मध्यप्रदेश।

आयुक्त

निःशक्तजन मध्यप्रदेश

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 नवम्बर 2016—अग्रहायण 3, शक 1938

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-22-142-2004-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) तक के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-22-142-2004-आठ, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-22-142-2004-आठ, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, निर्देश में, सारणी में, टिप्पण (3) के पश्चात् अंत में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाए, अर्थात्:—

4. "समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, अपर सचिव.

Bhopal, Dated 27th October 2016

No. F-22-142-2004-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988), and having regard to the provisions of clause (a) to (d) of sub-section (1) of said section and in partial supersession of this Department's Notification No. F-22-142-2004-VIII, dated 22nd April, 2015, the State Government, hereby, makes the follwing amendment in this department Notification No. F-22-142-2004-VIII, dated 22nd April, 2015, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Directions, in the table,, after Note (3), the following Note shall be added, namely:—

... discount shall be applied on the rental charge to the differently abled persons in all stage